

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-५ अरेरा कॉलोनी भोपाल
भोपाल, दिनांक

क्रमांक /
प्रति,

प्रमुख सचिव,
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
म.प्र.शासन,
भोपाल

16/X/14

विषयः— आवास एवं पर्यावरण विभाग की सेवा क्रमांक 17.6 प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचित स्कीम में किसी निजी भूमि के सम्मिलित भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा विकास करने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति/आपत्ति प्रदाय करने के संबंध में।

संदर्भः— शासन का प.क. एफ-23-62/2012/32/1 भोपाल दिनांक 24 नवंबर 2012

—0—

1. सेवा का उद्देश्य —

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत धारा 50 नगर विकास स्कीमों की जानकारी तैयार नगर विकास योजनाओं में प्रस्तावित रोड की प्रस्तावित चौड़ाई की जानकारी संबंधित नागरिकों द्वारा चाही जाती है। प्रदेश में सामान्यतः दो जिलों को मिलाकर एक नगर तथा ग्राम निवेश के जिला कार्यालय स्थापित किये गये हैं। जन सुविधा की दृष्टि से उक्त सेवाओं के लिये लोक सेवा केन्द्र में आवेदन प्राप्त करने एवं जानकारी देने के उद्देश्य से इन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी सेवा के अंतर्गत लिया जा रहा है।

2. आवेदन पत्र का प्रारूप—

इस सेवा के लिए आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में सादे कागज पर भी आवेदन दिया जा सकता है।

3. पदाभिहित अधिकारी एवं समय सीमा—

सेवा क्र	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
17.6	प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचित स्कीम में किसी निजी भूमि के सम्मिलित भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा विकास करने के संबंध में प्राधिकरण	प्रभारी अधिकारी, वास्तुविद् शाखा	20 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त

	द्वारा अनापत्ति / आपत्ति				
--	-----------------------------	--	--	--	--

4. पात्रता की शर्तें— कोई भी नागरिक
5. आवश्यक दस्तावेज— प्रस्तावित स्कीम में सम्मिलित राय पर विकास करने के सम्बंध में प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति/आपत्ति तथा पा-2 फार्म अगर आवेदक भूमि स्वामी है से भूमि स्वामी स्वामित्व होने के कागजात में उसका नाम दर्ज हाना चाहिए यदि आवेदक ने भू-स्वामी के साथ अनुबंध किया है तो अनुबंध की प्रति संलग्न की जाए भूमि स्वामी के दस्तावेजों के रोड चौड़ाई की जानकारी प्राप्त करने हेतु खसरा अक्स की प्रमाणित प्रति हो उस खसरा कमांक को लाल घेरे से अथवा हेचिंग करके दर्शाया गया हो तथा चारों दिशाओं में स्थित अन्य भूमि के खसरा कमांक प्रदर्शित हों।
6. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी—
1. सेवा प्राप्त करने के लिये कंडिका 3 में बताये अनुसार संलग्न प्रारूप एवं कंडिका-5 में दर्शाये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी (स्थानीय विकास प्राधिकरण) के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।
 2. आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप में दी जावेगी।
 3. पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय-सीमा का उल्लेख किया जावेगा और यदि आवेदन अपूर्ण हैं तो समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जायेगा परंतु जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं उनका उल्लेख अभिस्वीकृति में किया जावेगा।
 4. आवेदन लेते समय आवेदक का मोबाइल नम्बर का उल्लेख भी कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार एसएमएस अलर्ट किया जा सके।
 5. आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी में संलग्न प्रपत्र-5 में किया जायेगा। एक ही आवेदन का पृथक-पृथक पंजीयों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा।
 6. संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परंतु निर्धारित समय-सीमा के पूर्व आवेदन का निराकरण किया जावेगा।
7. लोक सेवा केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी—
1. साफ्टवेयर पर ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा एवं साफ्टवेयर में कंडिका-5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा। दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस लोक सेवा केन्द्र के ऑपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा।
 2. आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी आवेदक के पास होने की स्थिति में आवश्यक रूप से लिया जावे।

3. ऑनलाईन आवेदन का प्रिन्टआउट निकालकर प्रिन्टआउट पर आवेदक के हस्ताक्षर लिए जाएंगे एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत उसके साथ संलग्न होने वाले निर्धारित दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा। इस तरह प्राप्त यह हार्डकॉपी पदाभिहित अधिकारी द्वारा माह के (प्रतिदिन कार्य दिवस) को विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
4. ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही सॉफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी। पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय—सीमा सॉफ्टवेयर द्वारा अंकित होगी। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में छूट गये दस्तावेजों का उल्लेख होगा। आवेदन जमा होने के बाद पावती पर ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदक को दी जायेगी।
5. लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन की ऑनलाईन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउन्ट में ऑनलाईन उपलब्ध हो जाएगा।
6. पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर परिपत्र की कण्डिका—8 में बताई प्रक्रिया अनुसार उसके निराकरण की कार्यवाही करेगा और यथाशीघ्र समय सीमा के पूर्व आवेदन का निराकरण कर सेवा प्रदाय करेगा।
7. सेवा प्रदाय करने के लिए सेवा प्रदाय संबंधी आवेदक को भेजे जाने वाले स्वीकृति आदेश पर स्थाही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। अतः पदाभिहित अधिकारी को स्थाही से हस्ताक्षरित पत्र लोक सेवा केन्द्र पर भेजने की आवश्यकता नहीं है। लोक सेवा केन्द्र संचालक पदाभिहित अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी पत्र की साफ्टवेयर से प्रिन्टआउट निकालकर आवेदक को उपलब्ध करायेगा।
8. यदि पदाभिहित अधिकारी यह पाता है कि कतिपय कारणों से सेवा दिया जाना संभव नहीं है तो वह लिखित में कारण दर्शाते हुए आवेदन पत्र निरस्त करेगा एवं इसकी सूचना ऑनलाईन आवेदक को डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से देगा।
9. लोक सेवा केन्द्र ऑपरेटर द्वारा सेवा प्रदाय अथवा प्रदाय न करने की सूचना संबंधी पत्र डिजीटली साईन डिपाजटरी (www.mpedistrict.gov.in) से प्रिंटआउट निकालकर दिया जायेगा एवं पत्र पर नीचे लिखा सत्यापन प्रमाण—पत्र हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अंकित किया जायेगा—

प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाईट (www.mpedistrict.gov.in) से मेरे द्वारा निकाला गया है।

हस्ताक्षर
लोक सेवा केन्द्र संचालक

8. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया—

- 8.1 आवेदक द्वारा अपना आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में सीधे अथवा लोक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- 8.2 पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कंडिका—6 अनुसार एवं लोक सेवा केन्द्र में कंडिका—7 अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 8.3 आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पदाभिहित अधिकारी स्कीम में दर्ज खसरा क्रमांकों द्वारा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर जानकारी को खसरा नक्शों का रोड पैनल से

मिलान हेतु मानचित्रकार/सहायक मानचित्रकार को भेजा जायेगा। जो जानकारियों का मिलान 2 दिन की समय-सीमा में करेंगा।

- 8.4 संबंधित पदाभिहित अधिकारी मानचित्रकार/सहायक मानचित्रकार से प्राप्त अनापत्ति/आपत्ति रिपोर्ट सेवा प्रदान करने की निर्धारित समय-सीमा में आवेदक को उपलब्ध करायेंगे।
- 8.5 प्रस्तावित अधिसूचित स्कीम में सम्मिलित भूमि की जानकारी सेवा प्रदाय संबंधी जानकारी पर परिशिष्ट-5 पर आवेदक को प्रदाय की जायेगी। यह ऑन-लाइन जारी की जायेंगी अतैव इस पर स्थाही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी एवं डिजिटल हस्ताक्षर मान्य होगा।

9. शुल्क—

लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर निर्धारित आवेदन शुल्क 30/- रु. जमा करना होगा।

इस सेवा को प्राप्त करने हेतु प्रशासकीय व्यय(शुल्क) लोक सेवा केन्द्र सचालक द्वारा प्रतिमाह जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के खाते में जमा किया जावेगा। उक्त जमा किया गया शुल्क सोसायटी द्वारा प्रतिमाह आवास एवं पर्यावरण विभाग के निम्न मद (शीर्ष- 0217-शहरी विकास, 60-अन्य शहरी विकास योजनाएँ, 800-अन्य प्राप्तियाँ 171-मास्टर प्लान एवं नगरीय योजनाओं की फीस से प्राप्तियाँ) में जमा किया जायेगा।

- (1) आवेदक से उक्त सेवाएँ प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित रोड की चौड़ाई की जानकारी हेतु रु. 20/- मात्र प्रशासनिक शुल्क लिया जायेगा।
- (2) उक्त शुल्क लोक सेवा केन्द्र के द्वारा वसूल किया जाएगा तथा वह ई-गवर्नेंस सोसायटी के माध्यम से प्राधिकारी के खाते में जमा किया जावेगा।
10. आदेश/निर्देशों का निरसन/अधिक्रमण— इस सेवा के संबंध में पूर्व में जारी आदेश/निर्देश ऐतद द्वारा निरस्त किये जाते हैं।
11. अपील—आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :—
- (1) आवेदन पत्र अमान्य होने पर।

अथवा

(2) आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर।

अपील निम्नानुसार की जा सकेंगी—

- (1) प्रथम अपील— पदाभिहित अधिकारी द्वारा किसी भी आदेश की प्रथम अपील मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगी जो 15 दिवस में अपील का निराकरण करेंगे।
- (2) द्वितीय अपील— प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के चिरूद्ध अपील संभागीय आयुक्त, को प्रस्तुत की जाएगी।

(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह सचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्य प्रदेश भोपाल

विकास योजना में प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई की जानकारी हेतु आवेदन
प्रति,

संयुक्त/उप / सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय—

महोदय,

(1अ) मुझे जिला— तहसील— ग्राम—
के खसरा कमांक,..... जो कि नगर की अंगीकृत विकास योजना में
सम्मिलित है, से गुजरने वाले मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई बाबत् प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।
निर्धारित शुल्क लोक सेवा केन्द्र पर जमा करा दिया गया है राजस्व नक्शे के खसरा अक्स की
प्रति संलग्न है।

अथवा

(1ब) मुझे जिला— के नगर— की अंगीकृत विकास योजना में
प्रस्तावित— बिन्दु (लैंड मार्क / पहचान का स्थान) से— बिन्दु (लैंड मार्क / पहचान
का स्थान) के बीच प्रस्तावित रोड चौड़ाई संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। निर्धारित शुल्क
लोक सेवा केन्द्र पर जमा करा दिया गया है।

कृपया उक्त प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें।

स्थान:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता मोबाइल नं.

संलग्न:-

1. खसरा अक्स की प्रति जिसमें उक्त खसरा कमांक लाल घेरे से अथवा हेचिंग करके
दर्शाया गया है तथा चारों दिशाओं में स्थित अन्य भूमियों के खसरा कमांक प्रदर्शित हैं
(सिर्फ 1 (अ) हेतु) तथा निर्धारित शुल्क भुगतान संबंधी रसीद की छाया प्रति।

नियम 5 का प्रारूप—1

म.प्र.लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 नियम 5 (1) के अंतर्गत
अभिस्वीकृति का प्रारूप परिशिष्ट— 3

पदाधिकारी के कार्यालय का
नाम एवं पता _____

1. आवेदक का नाम एवं पता एवं
मोबाइल नंबर _____

2. लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन
प्राप्ति का दिनांक _____
3. सेवा का नाम जिसके लिये
आवेदन दिया गया है _____
4. उन दस्तावेजों का विवरण जो
सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक
है किन्तु आवेदन के साथ संलग्न
नहीं किये गये हैं _____

5. निश्चित की गई समय—सीमा की
आखिरी तारीख _____

स्थान.....
दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम (मुद्रासहित)

नोट:- आवेदक के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु—5
में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी नियम , 2010 के नियम 16 के अंतर्गत

नगर तथा ग्राम निवेश के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम—

माह _____ वर्ष _____

✓

.....नगर की विकास योजना में प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई की जानकारी

कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश जिला.....म.प्र.

प्रति,

विषय:—नगर की विकास योजना में मार्ग की चौड़ाई की जानकारी।

संदर्भ :— आपका आवेदन दिनांक.....

शासन द्वारा अनुमोदित विकास योजना अनुसार ग्राम.....के खसरा क्षमांक。
/ क्षमांकों.....से गुजरने वाले

अथवा

बिन्दु.....(लैंड मार्क / पहचान का स्थान) से बिन्दु.....(लैंड मार्क
/ पहचान का स्थान) के बीच प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई.....मीटर (राइट आफ वे) है।


संयुक्त संचालक / उप संचालक /
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय..... म.प्र.